न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– गजेन्द्र सिंह (आर.टी.एस)

मुकदमा नम्बरः– 06/2022

निर्णय दिनांक :– 30.12.2022

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का पौंख

बनाम

बाबा श्री सेवादास जी गौशाला समिति पौंख जरिये चैयरमेन रामानन्द स्वामी निवासी पौंख

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :– 30.12.2022

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी/अतिकमी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का पौंख तथा भू.अ. निरीक्षक गुड़ा द्वारा रिपोर्ट इस आश्य की पेश की गई है कि पटवार हल्का पौंख के ग्राम पौंख में स्थित भूमि ख.न. 3106/2210 रकबा 6.95 है0 किस्म गै0मु0 चारागाह में पर 84.5 वर्ग मीटर टिन शैड एवं 1103.5 वर्ग मीटर भूमि पर खाई खोदकर कुल 1188 वर्ग मीटर भूमि पर अप्रार्थी/अतिकमी बाबा श्री सेवादास जी गौशाला समिति पौंख जरिये चैयरमेन रामानन्द स्वामी निवासी पौंख ने अतिकमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/अतिकमी को नोटिस जारी किंये गये।

अप्रार्थी/अतिकमी द्वारा दिनांक 27.01.2022 को उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जो निम्न प्रकार से हैः– यह कि अप्रार्थी की एक सार्वजनिक समिति है जो की सार्वजनिक संस्था है व लोक कल्याणकारी व पशुसर्वधन का कार्य करती है व गौशाला का संचालन और अन्य धार्मिक कार्य करती है। बाबा सेवादास समिति द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही कर रखा है उक्त भूमि पर गौशाला का संचालन कर गायो की सेवा चिकित्सा का कार्य कर रही है जो सार्वजनिक सहयोग से संचालन हो रहा है। उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है बल्की भूमि को अन्य अतिक्रमीयो से बचाने का कार्य किया जा रहा है बाबा श्री सेवादास जी गौशाला समिति पौंख रजिस्ट्रेड गौशाला है जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर coop/2021/Jhunjhunu/200395 दिनांक 07.06.2021 है इस प्रकार जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया की उक्त भूमि का नियमन बाबा सेवादास जी गौशाला समिति पौंख के नाम से नियमन किया जावे व धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

की कार्यवाही अपास्त की जावे। अप्रार्थी/अतिक्रमी द्वारा साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु समय चाहा बार–बार समय देने के बावजुद भी अप्रार्थी/अतिक्रमी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य सबुत पेश नही किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एंव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत गै0मु0 चारागाह पर अनाधिकृति रूप से टिन शैड का निर्माण व खाई खोदकर कर अतिकमण करने के फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त आराजी से अप्रार्थी/अतिकमी को भौतिक रूप से बेदखल कर पटवार हल्का पौंख ग्राम पौंख के राजकीय भूमि ख.न. 3106/2210 रकबा 6.95 है. किस्म गै.मु. चारागाह में से 1188 व.मी. अतिकमी द्वारा टिन शैड व खाई खोदकर किया गया अतिकमण को हटाया जाकर अतिकमी को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

<u>आदेश</u>

पटवार हल्का पौंख ग्राम पौंख में स्थित भूमि 3106/2210 रकबा 6.95 है. किस्म गै0मु0 चारागाह में से 1188 व.मी. पर अप्रार्थी/अतिकमी बाबा श्री सेवादास जी गौशाला समिति पौंख जरिये चैयरमेन रामानन्द स्वामी निवासी पौंख द्वारा टिन शैड बनाकर व खाई खोदकर गै0मु0 चारागाह पर अतिकमण कर रखा है। ग्राम पौंख के भूमि ख0न0 3106/2210 रकबा 6.95 है: किस्म गै0मु0 चारागाह में से 1188 व0मी0. पर किये गये निर्माण को हटाया जाकर अप्रार्थी/अतिक्रमी को भौतिक बेदखल किया जावें। साथ ही अनाधिकृत अतिकमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 2.7894 रूपये का 50 गुणा यानि कुल 140/– रूपये (अक्षरे एक सौ चालीस रूपये) बतौर जुर्माना अप्रार्थी/अतिकमी पर आरोपित किया जाता है। निर्णयानुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार व भू0अ0निरीक्षक को भौतिक बेदखली हेतु लिखा जावें। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार उदयपुरवाटी
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी
तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूं

रजिस्टर व वर्ष 2022-23 पृ. 42
रुपये 140/— कायमी की गई

राजस्व लेखाकार